रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267543
CG-DL-E-10112025-267543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4919] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947
No. 4919] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2025

(आय-कर)

का.आ. 5074(अ).— ब्रुसेल्स में 26 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेल्जियम साम्राज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल को संशोधित करने वाले, इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध में यथा उल्लिखित, प्रोटोकॉल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधन प्रोटोकॉल कहा गया है) पर 9 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और, उक्त संशोधन प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख 26 जून, 2025 है, जो उक्त संशोधन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के पैरा 2 के अनुसार उक्त संशोधन प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए विधिक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं में से पश्चात्वर्ती तारीख है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इसके उपाबंध में यथा वर्णित, उक्त संशोधन प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में प्रभावी होंगे ।

[अधिसूचना सं. 160/2025/फा. सं. 505/2/1989-एफटीडी-I]

डॉ. विनय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेल्जियम साम्राज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल, जिस पर ब्रुसेल्स में 26 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किये गये थे, को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल।

भारत गणराज्य,
एक ओर,

और

बेल्जियम साम्राज्य,
फ्लेमिश समुदाय,
फ्रेंच समुदाय,
जर्मन-भाषी समुदाय,
फ्लेमिश क्षेत्र,
वालून क्षेत्र,
ब्रुसेल्स-राजधानी क्षेत्र,
दूसरी ओर,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेल्जियम साम्राज्य की सरकार के बीच करार तथा प्रोटोकॉल, जिस पर ब्रुसेल्स में 26 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किये गये थे और जो 1 अक्तूबर, 1997 को प्रभावी हुआ था (इसके बाद इसे "करार" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल (इसके बाद इसे "संशोधनकारी प्रोटोकॉल" कहा गया है) निष्पन्न करने की इच्छा से;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

1. इस करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएं) के पैरा 1, (घ) का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(घ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है:

- भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्र सरकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, और
- बेल्जियम के मामले में, जैसा भी मामला हो, संघीय सरकार के वित्त मंत्री तथा/अथवा किसी क्षेत्र तथा/अथवा समुदाय की सरकार, अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;"

2. इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप पैरा (ञ) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा (ट) जोड़ा जायेगा:

"(ट) पद "आपराधिक कर मामलों" का तात्पर्य जानबूझ कर किए आचार से संबंधित मामले हैं, चाहे उन्हें इस समझौते के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा बाद में किया गया हो, जिन पर आवेदक पक्ष के आपराधिक कानूनों तथा/अथवा कर विधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना हो।"

अनुच्छेद 2

इस करार के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा ऐसे प्रयोग के लिए आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ने प्राधिकृत किया हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगाः

   क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

   ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद 3

इस करार के अनुच्छेद 27 (वसूली में सहारा और सहायता) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"अनुच्छेद 27

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है जिनमें ऐसी राशि से संबंधित ब्याज़, प्रशासनिक दण्ड एवं वसूली अथवा संरक्षण पर लागत शामिल हैं, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान व्यवस्था इस अभिसमय अथवा किसी अन्य साधन जिसके संविदाकारी राज्य पक्ष हैं, इसके विपरीत न हो।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है, तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम

प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को किसी दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

   क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

   ख) पैरा 4 के अंतर्गत किए गए अनुरोध के मामले में, प्रथम-उल्लिखित सरकार की ऐसी राजस्व हकदारी जिसके संबंध वह सरकार, अपने कानूनों के अंतर्गत उसका संग्रहण सुश्निश्चित करने के लिए बचाव हेतु उपाय करती है तो, प्रथम-उल्लिखित सरकार का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य के संबंध में दूसरी सरकार के सक्षम प्राधिकारी को तत्परता से सूचित करेगा तथा, दूसरी सरकार के विकल्प पर; प्रथम-उल्लिखित सरकार अपने अनुरोध को या तो निलंबित कर देगी या वापस ले लेगी।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी प्रावधान का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगाः

   क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

   ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

   ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।"

अनुच्छेद 4

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें एक दूसरे को राजनयिक माध्यमों के जरिए अधिसूचित करेंगे कि इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सभी कानूनी अपेक्षाएं एवं क्रियाविधियां पूरी कर ली गयी हैं।

2. यह संशोधनकारी प्रोटोकॉल, जो इस करार का अभिन्न अंग होगा, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा, तथा इसके प्रावधान निम्नलिखित पर प्रभावी होंगे:

   क) उस तारीख को, आपराधिक कर मामलों के लिए; और

   ख) उस तारीख को अनुच्छेद 1, 2 तथा 3 में शामिल अन्य सभी मामलों के लिए, परन्तु केवल उस कराधेय अवधि के संबंध में जो उस तारीख अथवा उसके बाद आरंभ होती हो, अथवा ऐसे मामले जिनमें कोई कराधेय अवधि नहीं हो, उस तारीख को अथवा उसके बाद उत्पन्न सभी कर प्रभारों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में 9 मार्च 2017 तारीख को हिन्दी, फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रवर्तनशील होगा।

भारत गणराज्य के लिए:

(सुशील चंद्रा)
अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

बेल्जियम साम्राज्य के लिए:
फ्लेमिश समुदाय के लिए:
फ्रेंच समुदाय के लिए:
जर्मन-भाषी समुदाय के लिए:
फ्लेमिश क्षेत्र के लिए:
वालून क्षेत्र के लिए:
ब्रुसेल्स-राजधानी क्षेत्र के लिए:

(यन लक्स)
भारत में बेल्जियम के राजदूत